संख्या-31/2024/3041/22-2-2023-17(943)/2023

प्रेषकए

मदन मोहनए
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षकए
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायेंए

उत्तर प्रदेशए लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह, निवासी जनपद-अमरोहा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023) दिनांक-24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह, सहेलिया, थाना हसनपुर, जनपद-अमरोहा का निवासी है। पूर्व में तनसुख सिंह की हत्या में लेखराज सिंह के मौके का गवाह होने के कारण गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से दिनांक 27.10.2005 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर लेखराज सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-76/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 27.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.12.2021 तक 16 वर्ष 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में तनसुख सिंह की हत्या में लेखराज सिंह के मौके का गवाह होने के कारण गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से दिनांक 27-10-2005 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर लेखराज सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने की अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोमपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमपाल सिंह (बंदी संख्या-44963) पुत्र श्री करन सिंह, निवासी जनपद-अमरोहा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्टए1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-31/2024/3041(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेटए अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-31/2024/3041/22-2-2023-17(943)/2023

दिनांक 03 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह, सहेलिया, थाना हसनपुर, जनपद-अमरोहा का निवासी है। पूर्व में तनसुख सिंह की हत्या में लेखराज सिंह के मौके का गवाह होने के कारण गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से दिनांक 27.10.2005 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर लेखराज सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-76/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 27.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.12.2021 तक 16 वर्ष 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में तनसुख सिंह की हत्या में लेखराज सिंह के मौके का गवाह होने के कारण गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से दिनांक 27-10-2005 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर लेखराज सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने की अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोमपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।